मध्यप्रदेश शासन

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

क्रमांक एफ. 11–37/05/1/9 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन।**

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2005.

-----

दिनांक 13.10.2005 को मुख्य सचिव द्वारा इस विषय पर ली गई बैठक का कृपया स्मरण करें। बैठक में कतिपय विभागों की ओर से मांग की गई है कि अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (5) के तहत किसी व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराने के लिए ए–3/ए–4 के कागज का प्रति पृष्ठ मूल्य निर्धारित किया जाए। तद्नुसार एतद्द्वारा ए–3 एवं ए–4 कागज की फोटोकॉपी कराकर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रति पृष्ठ दो रूपये की दर तय की जाती है। इससे अधिक बड़े कागज की फोटो कापी लेने पर उसका वास्तविक मूल्य जैसा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत किया जावे, संबंधित आवेदक से वसूल किया जाये।

2. इसके साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (7) की उपधारा (5) के तहत फ्लापी/डिस्केट में जानकारी हेतु 50/– रूपये प्रति डिस्केट/फ्लापी आवेदक से वसूल की जावे।

3. कई विभागो द्वारा मुद्रित रिपोर्ट एवं अन्य सामग्री/जानकारी प्रकाशित की जाती है। ऐसे प्रकाशन के मूल्य विभाग द्वारा पूर्व से ही निर्धारित किए जायें तथा आवेदक से तदनुसार मूल्य वसूल किये जाये। जिन प्रकाशनों का पूर्व से ही मूल्य निर्धारित है, उनके लिए आवेदक से निर्धारित मूल्य वसूल किया जाये। ऐसे प्रकाशन से उद्धरण की प्राप्ति हेतु जो ए–3/ए–4 साइज के पेपर पर उपलब्ध करानी हो तो प्रति पृष्ठ पैरा–1 के अनुसार 2/– रूपये प्रति पृष्ठ आवेदक से वसूल किया जाए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (2) की उपधारा (एच) के तहत

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii ) non-Government organisation substantially financed
शब्द के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि उपरोक्त से तात्पर्य

ऐसे निकाय/गैर सरकारी संस्थान से है जिसका प्रतिवर्ष वास्तविक टर्न ओवर का पचास प्रतिशत या रूपये पचास हजार, जो भी कम हो, शासन या उसकी किसी संस्था से अनुदान के रूप में वित्तीय रूप से पोषित है। अतः ऐसे समस्त निकाय/गैर सरकारी संस्थानों को, जिन्हें आपके विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिसकी राशि रूपये पचास हजार या उनके टर्न ओवर का पचास प्रतिशत (इसमें से जो भी कम हो) के बराबर है, ऐसे निकाय/संस्थान भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिधि में आयेंगे एवं इस अधिनियम के तहत जानकारी मांगे जाने पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।

( खुशीराम )
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ0क्र0 एफ. 11–37/05/1/9 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर
12. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय,मध्यप्रदेश भोपाल
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

( अखिलेश अर्गल )
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग